न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

करण संख्या / 294 / 2009 वाद

उनवान

दायर दिनांक 27.10.2009

1. नारायणलाल पिता मांगू जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. किशना पिता छोगालाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 झमकू बेवा लक्ष्मण जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. विजय पिता लक्ष्मण जाति कुम्हार आयु नाबालिग बविलायत माता कान्ता बेवा लक्ष्मण जाति कुम्हार निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 रेणु पुत्री लक्ष्मण जाति कुम्हार आयु नाबालिग बविलायत माता कान्ता बेवा लक्ष्मण जाति कुम्हार निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मु0 ललीता पुत्री लक्ष्मण जाति कुम्हार आयु नाबालिग बविलायत माता कान्ता बेवा लक्ष्मण जाति कुम्हार निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मु0 कान्ता बेवा लक्ष्मण जाति कुम्हार निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन।

उपस्थितिः-- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट —वादी
अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी —प्रतिवादी सं0 2 से 6

—: वाद पत्र अन्तर्गत 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 19.11.2024

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 6937 / 5701 रकबा 0.12 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1 / 6 हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त आराजी रेवेन्यु रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 तक के संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। तथा रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त दर्ज रहने से पक्षकारान के आपस में कब्जा सम्बन्धी विवाद रहता है। तथा प्रतिवादीगण जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर वादी के कब्जे काश्त में तथा उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

कि उक्त आराजीयात का रेकार्ड में संयुक्त रहने से प्रतिवादी संख्या एक किशना अपनी ताकत के बल पर आराजी पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा है तथा वादी के जमीन पर भी निर्माण कर रहा है। तथा मना करने पर भी नहीं मान रहा है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाडा कराया आवश्यक है। तथा मौके पर बंटवाडा अनुसार अपना अपना कब्जा भी अलग कायम कराया आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना आवश्यक है कि जब तक उक्त आराजी का कानूनन बंटवाडा नही हो जाता है तथा कानूनन कृषि भूमि से अकृषि भूमि में रूपान्तरित नही करा ली जाती है तब तक प्रतिवादीगण उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा आराजी के किसी भी हिस्से को खुर्द बुर्द नही करें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे। तथा ऐसा न स्वयं करे न अपने नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्य आदि से करावें। तथा प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त आराजी का जब तक कानूनन बंटवाडा नही हो जाता है तथा कानूनी रूप से जब तक कृषि भूमि से अकृषि भूमि में रूपान्तरित नही करा ली जाती है तब तक प्रतिवादीगण किसी भी रूप से उक्त आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने देवें। तथा आराजी को खुर्द बुर्द नही करने देवे।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 किशना ने दिनांक 15.10.2009 को उक्त आराजी पर जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर पूरी आराजी पर निर्माण कार्य करना चालू कर दिया तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा की जिससे वादी ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी किशना नही माना तथा वर्तमान में भी निर्माण कार्य चालू रख रखा है जिससे बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 15.10.2009 को पैदा हुई एवं उसके पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि–

–बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का जब तक कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी प्रतिवादीगण उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा किसी भी प्रकार के किसी भी हिस्से को खुर्द बुर्द नही करे तथा वादी के हिस्से अनुसार कब्जे में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे। ऐसा न स्वयं करे न अपने नौकर एजेन्ट, परिवार के सदस्य आदि से करावें। तथा प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि उक्त आराजी पर जब तक कानूनी रूप से बंटवाडा नही हो जाता है तथा कानूनी रूप से भूमि कृषि भूमि से अकृषि भूमि में रूपान्तरित नही करा ली जाती है तब तक किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नही करने देवें। तथा आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करने देवे।

–बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बंटवाडा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर 1/6 हिस्सा वादी का अलग दर्ज करा मौके पर अलग कब्जा दिलाया जावें। तथा लगान भी अलग दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावे।

–बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री बक्षाई जावें कि दौराने वादपत्र यदि प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य किसी प्रकार से कर लेवे तो पुनः उनके खर्चे से निर्माण को हटाये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

–बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री बक्षाई जावें कि वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे तथा दौराने वादपत्र वादी को बेदखल कर दिया जावें तो पुनः कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 07.03.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 19.11.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

...ार हल्का कपासनए के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 6937/5701 रकबा 0.12 ...ता है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार ...र बटवाडा किया जाता है–

1. किशना पुत्र छोगा जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	6937/5701/1	0.08
योग	कुल किता–01	0.08

2. नारायण पुत्र मांगू जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	6937/5701/2	0.02
योग	कुल किता–01	0.02

3. कान्तादेवी, झमकु पत्नि लक्ष्मण हिस्सा 1/4, नाबालिग रेणू, नाबालिग ललीता पुत्री लक्ष्मण संरक्षक सरपरस्त माता कान्तादेवी हिस्सा 1/2, नाबालिग विजय पुत्र लक्ष्मण संरक्षक सरपरस्त माता कान्तादेवी हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	6937/5701/3	0.02
योग	कुल किता–01	0.02

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश ... वालेका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन